

प्ररूप-एक  
(नियम 25 देखिए)

राजस्व मण्डल ..... के समक्ष

कम्प्यूटर शीट

- (1) अपीलार्थी / आवेदक -
  - (2) प्रतिवादी / अनावेदक -
  - (3) मामले की श्रेणी ;
  - (4) मामले का क्रमांक (रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा भरा जाएगा) ;
  - (5) डिवीजन बैंच द्वारा संज्ञेय है अथवा सिंगल बैंच द्वारा (रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा भरा जाएगा);
  - (6) दोनों ओर के प्रथम पक्षकार का नाम;
  - (7) प्रस्तुत किए जाने की दिनांक ;
  - (8) रजिस्ट्रीकरण की दिनांक; (रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)
  - (9) विषयवस्तु ; -
  - (10) विधि का उपबंध; -
  - \* (11) मुख्य अधिवक्ता का नाम तथा स्टेट बार कौंसिल में नामांकन क्रमांक; -
  - \* (12) वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य अधिवक्ता (अधिवक्ताओं) के नाम तथा स्टेट बार कौंसिल में नामांकन क्रमांक; -
  - (13) अधीनस्थ न्यायालय अथवा प्राधिकारी इत्यादि का विवरण, अर्थात् :-
    - (एक) नाम,
    - (दो) पदनाम,
    - (तीन) मामला क्रमांक,
    - (चार) आक्षेपित आदेश की तारीख, ..... ;
  - \* (14) मामला प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर -
  - # (15) अपीलार्थी अथवा आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर -
- टिप्पणी :- \*केवल तब भरा जाए जब मामला अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो।  
#उन दशाओं में जहां अधिवक्ता को नियुक्त किए बिना अपीलार्थी अथवा आवेदक द्वारा स्वयम् अपील/आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

## प्ररूप-दो

(नियम 28 देखिए)

राजस्व मण्डल ..... के समक्ष

मामले की श्रेणी ..... क्रमांक ..... दिनांक .....20.....

अपीलार्थी .....

आवेदक .....

विरुद्ध

प्रतिवादी .....

अनावेदक .....

## दस्तावेजों की सूची

अनुक्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज की तारीख	मूल/प्रतिलिपि	पृष्ठों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान .....

हस्ताक्षर

दिनांक .....

.....द्वारा अधिवक्ता

## प्ररूप-तीन

(नियम 45 देखिए)

राजस्व मण्डल ..... के समक्ष

## मेशन मेमो

अपीलार्थी .....

आवेदक .....

विरुद्ध

प्रतिवादी .....

अनावेदक .....

मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवाए जाने हेतु ..... द्वारा विशेष निवेदन

(पूर्वाह्न 10.30 बजे)

(1) मुख्य मामले को संस्थित किए जाने की तारीख एवं क्रमांक .....

(2) वह तारीख जिस पर दोषों को, यदि कोई हों, दूर किया गया .....

(3) क्या बैंच द्वारा कोई निश्चित तारीख दी गई? .....

(4) वह प्रयोजन जिसके लिए मामला नियत किए जाने के लिए निवेदन किया गया है .....

(5) शीघ्र सुनवाई का कारण .....

(6) वह तारीख जिसके लिए निवेदन किया गया है .....

स्थान .....

हस्ताक्षर

दिनांक .....

.....द्वारा अधिवक्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ-2-6-2022-सात-शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-6-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.